भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 94*
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

कुरुवई धान खरीद का प्रभाव

†*94. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में अनाज की उपलब्धता और खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों पर कुरुवई धान की खरीद में कमी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण और चावल आधारित मूल्यवर्धन परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित अथवा जारी की गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें किसानों की आय और अनाज की आपूर्ति को स्थिर करने के लिए धान प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य श्रृंखला संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना को लक्षित सहायता के परिणामस्वरूप खरीद के संबंध में होने वाली कमियों के कारण व्यवधानों से किसानों और उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए "कुरुवई धान खरीद का प्रभाव" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जारी कुरुवाई सीजन केएमएस वर्ष 2025-26 (खरीफ) के दौरान धान की खरीद में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में खरीद में 83% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुरुवाई धान की खरीद में कोई कमी नहीं हुई और अनाज की उपलब्धता तथा खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में भी कोई कमी नहीं हुई।

(ख): तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	**अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**
2022-23	12	251.01	47.89
2023-24	15	405.59	97.71
2024-25	-	-	-
2025-26*	1	20	9.72

* दिनांक 31.12.2025 तक

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) को तमिलनाडु राज्य सरकार से धान प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की सहायता करने के लिए, दिनांक 31.12.2025 तक, एमओएफपीआई ने तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत 81 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत 17869 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत 19 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों के साथ धान की खरीद करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को अपने उत्पाद का लाभदायक मूल्य मिले और उन्हें मजबूरी में बिक्री न करनी पड़े। तथापि, यदि उत्पादक/किसान को एमएसपी की तुलना में बेहतर मूल्य मिलता है, तो वे अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीद केंद्र, संबंधित एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य लॉजिस्टिक/अवरसंरचना आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। एमएसपी का भुगतान ऑनलाइन खरीद पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

*****